उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2
संख्या-469/2025/1934/2025/27-2002/338/2025-2
लखनऊ :: दिनांक 16 अक्टूबर, 2025

शुद्धि-पत्र

संख्या-461/2025/1449/2025/27-2002/338/2025-2 दिनांक 23.09.2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-94, लेखाशीर्षक-4711 बाढ़ नियंत्रण एवं जलोत्सारण (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत जनपद हरदोई में गर्रा नदी के बाएं किनारे पर स्थित संवेदनशील ग्राम उमरिया कैथानी एवं उमरिया धनी के कटाव निरोधक कार्य की परियोजना (लागत रू0 569.99 लाख) पर रूपये 2,21,05,000.00 (रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 23.09.2025 के प्रस्तर-2 की तालिका में अंकित संगठन का नाम सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर /सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर, सीतापुर के स्थान पर षष्टम मण्डल, सिंचाई कार्य लखनऊ/ हरदोई खण्ड शारदा नहर, हरदोई पढ़ा जाये।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) प्रमुख अभियन्ता(परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(7) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, शासन।
(8) उप-महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 11 विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
(9) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0(बाढ़) , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(10) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(11) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(12) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(13) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/ वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(15) सिंचाई अनुभाग-9
(16) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in